राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1909/2023

सीमा तनेजा (कर्मचारी आई.डी.–आरजेजेपी200418002787) **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय), जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 01.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग में पीटीआई ग्रेड–।।। के पद पर वर्ष 2004 में हुई थी, जो विज्ञापन वर्ष 2003 के अनुसरण में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पीटीआई के पद के लिए वर्ष 2003 में जारी विज्ञापन के अनुसरण में अपीलार्थी के समकक्ष पीटीआई ग्रेड–।।। में चयनित व्यक्तियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिया गया है, परंतु अपीलार्थी को पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित रखा गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका संख्या 14473/2013 पवन कुमार त्रिवेदी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के समकक्ष अन्य कार्मिकों को लाभ दिये जाने के आदेश दिये हैं।
2. अपीलार्थी ने पूर्व में माननीय अधिकरण के समकक्ष अपील संख्या 2423/2021 प्रस्तुत की थी, जिसमें अधिकरण ने आदेश दिनांक 28.07.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सक्षम प्राधिकारी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे और प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया था कि वह अपीलार्थी का अभ्यावेदन आख्यात्मक आदेश पारित कर निस्तारित करें। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिया था तथा प्रत्यर्थी विभाग ने अभ्यावेदन को आदेश दिनांक 15.11.2022 के द्वारा निस्तारित किया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी तथा (माध्यमिक मुख्यालय), जयपुर द्वारा अभ्यावेदन अस्वीकार किया, जिसमें यह माना कि रिट याचिका संख्या 14473/2013 पवन कुमार त्रिवेदी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं होने के कारण निर्णय अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी

विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन को उचित प्रकार से निस्तारित नहीं किया, न ही आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) पारित किया है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)